अनुदान संख्या 100 - जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 100 - MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*4620,35,00*	*4026,64,76*	*-593,70,24*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*593,70,24*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3781,57,00	3791,53,00	3232,12,22	-559,40,78
पूरक	Supplementary	9,96,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				540,04,64
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		50,00,00	20,00,00	-30,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				30,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* हिस्से में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*459834.00*	*401810.34*	*401810.34*	..
पु.	*R.*	*-58023.66*			

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधायिका वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	*O.*	*2201.00*	*854.42*	*854.42*	..
पु.	*R.*	*-1346.58*			

(I) राज्य सरकारों/संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम" के तहत एक मामले में *₹3390.00 लाख* का *विनियोग* पूरी तरह अप्रयुक्त रह गया।

(I) *Appropriation* of *₹3390.00 lakhs* remained wholly unutilized in one case under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - National Tribal Welfare Programme" - due to non-receipt of proposals from State Governments/ Institutions.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत–बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(II) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads :-

(का) "केंद्र प्रायोजित योजनाएं–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)" – *₹23591.24 लाख* की बचत (*₹234495.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र लंबित होने और एकल नोडल एजेंसी अनुपालन के कारण राज्य से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Centrally Sponsored Schemes-Tribal Area Sub-Plan- Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)" - saving of *₹23591.24 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹234495.00 lakhs*) was due to receipt of less demand from States owing to pending utilization certificates and Single Nodal Agency compliance.

(खा) "राज्यों को अन्य स्थानांतरण/अनुदान–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के तहत अनुदान"– *₹31041.33 लाख* की बचत (*₹106971.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(B) "Other Transfer/Grants to States-Tribal Area Sub-Plan-Welfare of Scheduled Tribes-Grants under Proviso to Article 275(1) of the Constitution" - saving of *₹ 31041.33 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹106971.00 lakhs*) was due to non-receipt of pending utilization certificates and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3602" के तहत – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)" – *₹ 1346.58 लाख* (*₹ 2201.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) की बचत विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों से कम मांग प्राप्ति के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes-Tribal Area Sub-Plan-Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)" - saving of *₹1346.58 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹2201.00 lakhs*) was due to receipt of less demand from Union Territories without legislature.

2. अनुदान के राजस्व खंड के स्वीकृत भाग में, समग्र बचतें (₹55940.78 लाख) दिसम्बर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹996.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक थी और कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹55940.78 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹996.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत बचतें/अधिक व्यय हुई/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – समाज सेवा	Secretariat - Social Service				
मू.	O.	3300.00			
पू.	S.	380.00	3568.20	3563.76	-4.44
पु.	R.	-111.80			
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"				
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	290657.00			
पू.	S.	616.00	245746.98	243815.28	-1931.70
पु.	R.	-45526.02			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	84200.00	..	..	..
पु.	R.	-84200.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
पु.	R.	75833.18	75833.18	75833.18	..

(I) पांच शीर्षों के तहत ₹84230.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹84200.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षकों संबंधित हैं :–

(का) "जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)" – ₹20000.00 लाख;

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" –

(क) "राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम" – ₹1000.00 लाख;

(ख) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)" – ₹35200.00 लाख; और

(ग) "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के तहत अनुदान" – ₹28000.00 लाख।

(I) Provision of ₹84230.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹84200.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan - Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)" - ₹20000.00 lakhs;

(B) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "National Tribal Welfare Programme" - ₹1000.00 lakhs;

(b) "Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)" - ₹35200.00 lakhs; and

(c) "Welfare of Scheduled Tribes-Grants under Proviso to Article 275(1) of the Constitution" - ₹28000.00 lakhs.

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए से कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण चार शीर्षों के तहत थे।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – जनजातीय कार्य मंत्रालय” के तहत – ₹380.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3300.00 लाख का मूल प्रावधान ₹3680.00 लाख तक बढ़ाया गया था, जो, हालांकि, रिक्त पदों को न भरने, कम विदेशी दौरे करने और अवकाश यात्रा रियायत और मानदेय के लिए कम दावों की प्राप्ति के कारण– ₹116.24 लाख तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Ministry of Tribal Affairs” - the original provision of ₹3300.00 lakhs was augmented to ₹3680.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹380.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹116.24 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less foreign tours undertaken and receipts of less claims towards leave travel concession and honorarium.

(III) मुख्य शीर्ष “2225” के अंतर्गत – “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना” – बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(III) Under Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Tribes - Tribal Area Sub-Plan” - savings occurred under the following heads:-

(का) “राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम” – स्थायी वित्त समिति द्वारा योजना के विस्तार के अनुमोदन में देरी और कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण ₹45240.70 लाख (₹85163.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(A) “National Tribal Welfare Programme” - saving of ₹45240.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹85163.00 lakhs) was due to delay in approval for the extension of the scheme by Standing Finance Committee and receipt of less proposals.

(खा) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)” – ₹1878.13 लाख की बचत (₹3804.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों से कम मांग प्राप्त होने और उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित होने और एकल नोडल एजेंसी अनुपालन के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(B) “Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)” - saving of ₹1878.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3804.00 lakhs) was due to receipt of less demand from Union Territories without legislature and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to pending Utilization Certificate and Single Nodal Agency compliance.

3. उपरोक्त बचत को आंशिक रूप से मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिशेष राशि से पूरा किया गया था :–

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head “3601” - under the following heads:-

(I) “केंद्र प्रायोजित योजनाएं” –

(का) “जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)” – ₹20209.50 लाख का अधिक व्यय (‘शून्य’ प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्ष में धन के पुनर्विनियोजन के कारण था।

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)” – ₹33904.12 लाख का अधिक व्यय (‘शून्य’ प्रावधान की तुलना में) छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अतिरिक्त धन की आवश्यकता और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्ष तक धन के पुनर्विनियोजन किए जाने के कारण था।

(II) “राज्यों को अन्य स्थानांतरण/अनुदान – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के तहत अनुदान” – ₹21719.56 लाख का अधिक व्यय (‘शून्य’ प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों के लिए धन का पुनर्विनियोजन किए जाने के कारण था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :–

(I) “Centrally Sponsored Schemes” -

(A) “Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan - Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)” - excess of ₹20209.50 lakhs (against ‘nil’ provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) “Tribal Area Sub-Plan - Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)” - excess of ₹33904.12 lakhs (against ‘nil’ provision) was due to requirement of additional funds by Government of Chattisgarh and Maharastra and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) “Other Transfers/Grants to States - Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution” - excess of ₹21719.56 lakhs (against ‘nil’ provision) was due to receipt of more proposals from the State Governments and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"				
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	5000.00	2000.00	2000.00	..
पु.	R.	-3000.00			

(I) "सामान्य–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम" के तहत – ₹3000.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्रियाविधि और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ट्रस्ट की स्थापना करने के कारण योजना के प्रचालन में देरी के कारण हुई थी।

(I) Under "General - Tribal Area Sub-Plan - National Tribal Welfare Programme" - saving of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to delay in operationalization of the scheme owing to setting up of Trust as per procedure and process laid down by Securities and Exchange Board of India.